

बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना ।
पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं०-०४/२०१४-१५

1. विभाग का नाम- पुलिस महानिदेशक का कार्यालय,बिहार, पटना ।
2. विज्ञापन दाता का नाम एवं पता- पुलिस महानिरीक्षक के सहायक(क्यू),बिहार,पटना ।
3. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय दिनांक- 14/10/2014 -14:00 बजे तक ।
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय दिनांक-14/10/2014 -16:00 बजे ।
5. निविदा प्राप्ति का स्थान-पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना के कार्यालय भवन के मुख्य द्वार पर रखी निविदा पेटी।
6. कार्य का व्योरा-

क्रमांक	मद का नाम एवं गुणस्तर	मात्रा (अदद में)
1	आयरन फोल्डिंग कॉट- 38x38x5 एम.एम. का आई.एस. 2062/2006 गुणस्तर का आयरन का बना फ्रेम होगा । इस फ्रेम की चौड़ाई में दो सपोटर 25x25x3 एम.एम. का ,एम.एस. प्लेट लगा होगा । बेड का स्टील फ्रेम अच्छी तरह से पेंट किया हुआ होगा । लेग पाईप का आउटर डायमेंशन 25 एम.एम. एवं मोटाई 1.6 एम.एम. का आई.एस. 1161 /1998 (एमेन्डमेंट नं०-1) गुणस्तर का होगा जिसमें पॉन इंच का वाटर प्रूफ प्लाई वुड ग्रीन ब्लैक बोर्ड आई.एस.-1659 या प्लाई बोर्ड आई.एस.-303(ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज) के टॉप का अन्तिम आकार 1980x910x460 एम.एम. का होगा । ऐंगल फ्रेम में प्लाईवुड हेक्सागोनल ग्लेबेनाईज्ड नट एवं बोल्ट से कसा होगा । ग्रीन ब्लैक बोर्ड आई.एस.-1659 या प्लाई बोर्ड आई.एस.-303(ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज) के टॉप का अन्तिम आकार 1980x910x460 एम.एम. का होगा । वेड के लेग मोड़ने वाले होना चाहिए तथा मोड़ने के लिए 20x5 एम.एम. की दो पट्टियां मेन फ्रेम से लगी होगी। चारो लेग पर मच्छरदानी के लिए डंटा लगाने का प्रावधान होगा । लेग के नीचले भाग में पी.वी.सी. या हार्ड रबर के मजबूत शूज लगे रहेंगे ।	10000
2	लकड़ी का टारगेट 4'x4'	688
3	टारगेट पेपर 4'x4'	2903
4	चिन्दी- आई०एस०-174/1965 के अनुसार 4 इंच चौड़ा तथा कम से कम 10 मीटर के रॉल।	53748
5	वेस्ट कॉटन जूट	2130
6	रायफल तेल- जे०एस०एस०-9150(20 लीटर के पैकिंग में) के अनुसार।	1769
7	रायफल ग्रीस- आई०एस०-507/1993 ग्रेड-2 (पचीस किलोग्राम के पैक में) होना चाहिए।	948
8	तीसी तेल- आई०एस०-75/1973 रा० ग्रेड-1 (16 लीटर के पैक में) होना चाहिए।	486

निविदा के नियमों, शर्तों की जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में, पुलिस महानिरीक्षक के सहायक(क्यू), बिहार, पटना के दूरभाष सं०-0612-2215295 पर सम्पर्क किया जा सकता है, कार्यालय के सूचना पट तथा वेबसाइट www.prdbihar.gov.in or www.biharpolice.bih.nic.in पर देखा जा सकता है ।

86
22/10/14
पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (क्यू)
बिहार, पटना ।

पुनर्निविदा संज्ञा- 04/2014-15 के नियम एवं शर्त

1- इन मदों में निविदायें सिर्फ बिहार में स्थित इकाईयों या राज्य के बाहर उत्पादनरत इकाईयों के स्थानीय कॉरपोरेट कार्यालय/ स्थानीय कार्यालय/ विक्रेता/एजेंट/आपूर्तिकर्ता / प्राधिकृत डीलर के द्वारा ही दी जाएगी लेकिन सफल निविदादाताओं को कयादेश के पहले बिहार वाणिज्य कर में निबंधन का प्रमाण पत्र देना होगा । अधिकृत विक्रेता /प्राधिकृत डीलर या एजेंट को उनके उत्पादनकर्ता फर्म का प्राधिकार पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।

2- 1 (एक) नमूना निविदा के साथ समर्पित करना अनिवार्य होगा । नमूना समर्पित नहीं करने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा ।

3- इस मद में जो निविदादाता निविदा देने के इच्छुक हो उनके लिए आवश्यक होगा कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में उनका टर्न ओभर निविदाकृत मद के लागत मूल्य के बराबर हो । टर्न ओभर के सत्यापन हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 का समर्पित आयकर रिटर्न को अनुलग्नक के रूप में समर्पित ट्रेडिंग एकाउण्ट/प्रोफिट एण्ड लॉस एकाउण्ट एवं बैलेंस शीट का अभिप्रमाणित प्रति फर्म के चार्टर्ड एकाउण्टेंट से सत्यापित कराकर (मुहर सहित) निविदा के साथ समर्पित की जाए । यदि अधिकृत विक्रेता या एजेंट निविदा देते हैं तो टर्न ओभर उनको प्राधिकृत करने वाली उत्पादनकर्ता इकाई का भी मान्य होगा ।

4- सभी मदों के लिए निविदा दो भागों में - (1) तकनीकी भाग तथा (2) वित्तीय भाग के रूप में ली जाएगी । यदि किसी निविदा में तकनीकी भाग तथा वित्तीय भाग अलग-अलग नहीं होगा तो उस निविदा को तत्क्षण अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा इस संदर्भ में कोई सुनवाई नहीं की जाएगी ।

5- तकनीकी भाग में सभी आवश्यक कागजात (टेक्नो-कमर्सियल प्रोफाइल), वार्षिक टर्न ओवर तथा उत्पादनकर्ता होने के संबंध में जो अन्य शर्तें रखी गयी हैं उसका प्रमाण पत्र, आपूर्ति से संबंधित शर्तें, निविदा मूल्य, अग्रधन की वांछित राशि आदि अन्य सभी आवश्यक सूचनाएँ फर्म अपने लेटर पैड के साथ संलग्न कर समर्पित करेंगे ।

6- वित्तीय भाग में सिर्फ मद का दर सभी कर सहित अंकित करेंगे । अंकित दर में कोई कटिंग/ओवरराइटिंग मान्य नहीं होगा तथा ऐसी निविदा को अस्वीकृत किया जा सकेगा । मद के लिए वित्तीय भाग अलग लिफाफा में बंद कर उसके उपर मद का नाम लिखकर एक लिफाफे में बंद कर देना होगा । यदि एक से अधिक मद का वित्तीय भाग एक साथ एक ही लिफाफे में समर्पित किया जाएगा तो निविदा को तत्क्षण अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा इस संदर्भ में अन्य कोई सुनवाई नहीं की जाएगी ।

7- तकनीकी भाग एवं वित्तीय भाग दो अलग-अलग लिफाफे में सीलबंद रहेंगे तथा दोनों लिफाफों के उपर पुनर्निविदा सं०-04/2014-15 का तकनीकी भाग तथा पुनर्निविदा सं०-04/2014-15 का वित्तीय भाग अंकित रहेगा । इन लिफाफों पर फर्म का नाम एवं पता अंकित रहेगा । ये दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में सीलबंद रहेंगे जिसके उपर सिर्फ पुनर्निविदा सं०-04/2014-15 अंकित रहेगा । फर्म का नाम एवं पता इसपर अंकित नहीं रहेगा ।

8- नमूना पर दर किसी भी परिस्थिति में अंकित नहीं किया जाएगा । नमूना पर दर अंकित किए जाने वाले फर्म की निविदा को तत्क्षण अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा इस संदर्भ में कोई सुनवाई नहीं की जाएगी ।

9- फर्म द्वारा समर्पित निविदा के तकनीकी भाग तथा नमूने की जांच केन्द्रीय कय समिति द्वारा की जाएगी । फर्मों को तकनीकी सह उपयोगकर्ता समिति के समक्ष आवश्यकतानुसार उपस्थित होने हेतु आमंत्रित भी किया जा सकता है । फर्म के उत्पादन इकाई का आवश्यकतानुसार निरीक्षण भी किया जाएगा । जिस फर्म के तकनीकी भाग तथा समर्पित नमूने से केन्द्रीय कय समिति संतुष्ट होगी उसी फर्म का वित्तीय भाग समिति के समक्ष खोला जाएगा । उक्त अवसर पर उपस्थित होने हेतु फर्म के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाएगा ।

10- निविदादाता निविदा अपने फर्म के लेटर पैड पर दे सकते हैं लेकिन निविदा मूल्य के रूप में बैंक ड्राफ्ट निम्नलिखित मूल्य तालिका के अनुसार पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (क्यू), बिहार, पटना के नाम से बनाकर देना होगा । (निविदा लागत मूल्य 10000/-रु० तक 50/-रु० 50,000/-रु० तक- 250/-रु० 250000/-रु० तक 500/-रु०, 500000/-रु० तक 750/-रु०, 1000000/-रु० तक 1250/-रु०, 1500000/-रु० तक 2500/-रु०, 5000000/-रु० तक 5000/-रु०, एवं 5000000/-रु० से अधिक-10000/-रु०) । जिन निविदादाताओं ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में 10000/-रु० की निविदा मूल्य जमा की है उन्हें निविदा मूल्य जमा नहीं करना होगा ।

11- जिन निविदादाताओं की निविदा खुलने के समय निविदा मूल्य के रूप में बैंक ड्राफ्ट उपलब्ध नहीं रहेगा या वांछित राशि से कम रहेगा उस निविदा को तत्क्षण अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा इस संदर्भ में कोई सुनवाई नहीं की जाएगी ।

12- जिन मदों का आई.एस. स्पेसिफिकेशन अंकित है का नमूना किसी भी भारतीय मानक ब्यूरो / एन.ए. बी.एल. से उक्त मद की जांच हेतु जांच कराकर अदद पर फर्म के टैग के साथ जांच एजेंसी का टैग एवं शील लगाकर समर्पित करना होगा । साथ ही प्रयोगशाला भारत मानक ब्यूरो / एन.ए.बी. एल. से मद की जांच हेतु मान्यता प्राप्त है इसका प्रमाण-पत्र भी समर्पित कराना होगा । जांच प्रतिवेदन मूल में समर्पित करना होगा अन्यथा निविदा को अस्वीकृत कर दिया जाएगा । इस संदर्भ में कोई सुनवाई नहीं की जाएगी ।

13- पुनर्निविदा के तकनीकी भाग दिनांक-14/10/2014 को 16.00 बजे अपराह्न पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (क्यू), बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में खोले जाएंगे। उक्त अवसर पर निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं ।

14- आपूरित मद का निरीक्षण किस संस्था एवं किस रीति से कराया जाएगा इसका निर्णय विभाग लेगा जो फर्म पर बाध्यकारी होगा । मदों की जांच के दौरान संबंधित खर्च निविदादाता स्वयं वहन करेंगे तथा इस जांच में हुए किसी प्रकार की विलम्ब के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे ।

15- प्रत्येक निविदाकृत मद के लिए मात्र एक दर (सभी कर सहित) अंकित किया जाए । यदि निविदा में अस्पष्ट सूचना यथा "कर आवश्यकतानुसार" अंकित होगा तो निविदा स्वयमेव रद्द समझी जाएगी तथा इन विन्दु पर अन्य कोई सुनवाई नहीं होगी । निविदा में अंकित दर पर कोई छूट मान्य नहीं होगी ।

16- निविदा के साथ आवश्यकतानुसार अग्रधन की वांछित राशि का एक प्रतिशत या अधिकतम 25,000/-रु० का बैंक ड्राफ्ट / नेशनल सेविंग पास बुक / एन.एस.सी. के रूप में अधोहस्ताक्षरी के नाम बंधित कर जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायगा । किसी पूर्व वर्ष या पूर्व में जमा अग्रधन / प्रतिभूतिधन इस निविदा के अग्रधन के रूप में समायोजित नहीं किया जाएगा । बिहार स्थित लघु उद्योग इकाईयों को अग्रधन देने की आवश्यकता नहीं होगी ।

17- मद की आपूर्ति केन्द्रीय वस्त्र भंडार, फुलवारी शरीफ, पटना में निष्प्रभार ली जाएगी । आपूरित मद तबतक प्राप्त नहीं समझा जाएगा जबतक कि निरीक्षण समिति मदों को निरीक्षण के पश्चात् स्वीकार करने योग्य घोषित नहीं कर देती है । अस्वीकृत मद की सूचना प्राप्त होने पर निविदादाता को स्वयं अपने खर्च से उक्त मद वापस ले जाना होगा ।

18- निविदा के साथ अद्यतन आयकर रिटर्न पैर नंबर तथा Working Certificate issued by the competent authority की अभिप्रमाणित प्रति अवश्य संलग्न करेंगे, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा ।

19- मदों के लिए व्यक्त दर संबंधित वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक के लिए मान्य होगा । 31 मार्च से कम अवधि के लिए व्यक्त दर मान्य नहीं होंगे ।

20- अगर निविदा अधिकृत विक्रेता या एजेंट द्वारा समर्पित की जाती है तथा उनकी निविदा स्वीकृत होती है तो एकरारनामा के सम्पादन में निविदाकर्ता के साथ निविदाकर्ता को प्राधिकृत करने वाली उत्पादनकर्ता इकाई को भी सम्मिलित होना पड़ेगा ।

21- निविदादाता ने अपनी निविदा के तकनीकी भाग में कौन-कौन से अनुलग्नक संलग्न किए हैं उसकी सूची का उल्लेख फर्म के लेटर पैड पर करना अनिवार्य होगा तथा यह भी प्रमाण पत्र देना होगा कि अनुलग्नित सभी कागजात उनके जानकारी के अनुसार सत्य है ।

22- निविदा खुलने के पश्चात् निविदा से संबंधित किसी प्रकार का कागजात एवं नमूना स्वीकार नहीं किया जाएगा । अगर कोई फर्म ऐसा करने का प्रयास करता है तो उसकी निविदा को अस्वीकृत कर दिया जाएगा

23- पुलिस महानिदेशक बिहार, पटना को यह अधिकार सुरक्षित है कि बिना कारण बताये निविदा को आंशिक या पूर्णरूप से अस्वीकृत कर दे या निर्धारित मदों में आवश्यकतानुसार वर्णित मात्रा को घटा दे या बढ़ा दें ।